न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोडा।
फौ0 वाद संख्या–1504/2022

राज्य बनाम मनोज कुमार

अ0धा0–60 आब0 अधि0

<u>**दिनांक 12.12.2022**</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई।

अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता श्री दीपेन्द्र परिहार न्यायालय उपस्थित।

उनकी ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया है कि वह अपना जुर्म स्वीकार करना चाहता है। उनके मामले का निस्तारण जुर्म स्वीकृति के आधार पर आज ही कर दिया जाय।

अभियुक्त के बयान अंकित किया गया। उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा– 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा–

<u>**आदेश**</u>

अभियुक्त मनोज कुमार को धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत सिद्ध दोष करते हुये न्यायालय उठने तक की सजा एवं 5000/– रूपये जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 1 माह साधारण कारावास भोगना होगा।

बरामशुदा माल बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जाय।

(शुभांगी गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोडा